25

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक श्री अर्जुन सेंगर, ग्राम–नयका बारका बैजू टोला, रिविलगंज, सारण पिनकोड़–841305 (निबंधन सं0–4200233/20–25 (UE)) को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा के अधीन MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत (i) भावलपुर PMGSY पथ से MMGSY (ii) तरैया प्रखंड में मिडिल शंकर डीह से अर्जुनराम तक का पथ निर्माण कार्य आवंटित किया गया था। एकरारनामा के अनुसार (एकरारनामा संख्या–01/MMGSY-GEN/SBD /2023–24) कार्य प्रारंभ की तिथि 27.05.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 26.02.2024 एवं एकरारनामा संख्या–18/MMGSY-GEN/2021-22 के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि–15.05.2021 एवं कार्य समाप्त की तिथि–14.02.2022 थी।

उक्त दोनो पथो का निर्माण किये जाने हेतु कई बार संवेदक को पत्राचार के माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा निदेश दिये जाने के उपरान्त संदर्भित पथों का कार्य एकरारनामा में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा द्वारा कार्यलय आदेश संख्या–54 सह पठित ज्ञापांक–2366 दिनांक–16.12.2023 द्वारा एकरारनामा (एकरारनामा संख्याः–01/MMGSY-GEN/SBD /2023–24 तथा 18/MMGSY-GEN/2021-22) को विखंडित करते हुए संवेदक श्री अर्जुन सेंगर (निबंधन सं0–4200233/20–25 (UE)) के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–698 दिनांक–08.02.2024 एवं 3335 दिनांक–28.10.2024 द्वारा संवेदक अर्जुन सेंगर से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तदनुसार उक्त संवेदक द्वारा दिनांक–13.11.2024 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए उल्लेखित किया गया कि संदर्भित दोनो पथो का कार्य पूर्ण होने का एक कारण एकरारनामा के विखंडन को बताया गया है। तथा उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु एक माह का समय विस्तार के साथ एकरारनामा को पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया। जिसे समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त संवेदक श्री अर्जुन सेंगर, ग्राम– नयका बारका बैजू टोला, रिविलगंज, सारण पिनकोड़–841305 निबंधन सं0–4200233/20–25 (UE) द्वारा कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के अधीन आवंटित पथ निर्माण एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार नहीं किये जाने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के कंडिका 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के तहत उक्त संवेदक के निबंधन संख्या– 4200233/20–25(UE) एवं PAN NO.-LKEPS1930A को 03(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

22.01.26

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

P.T.O

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–40/2025 996 /पटना, दिनांकः– 23.1.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग,/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.01.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–40/2025 996 /पटना, दिनांकः– 23.1.26

प्रतिलिपिः–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.01.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–40/2025 996 /पटना, दिनांकः– 23.1.26

निबंधित

प्रतिलिपिः– श्री अर्जुन सेंगर, ग्राम–नयका बारका बैजू टोला, रिविलगंज, सारण पिनकोड़–841305 (निबंधन सं0–4200233/20–25 (UE)) को सूचनार्थ प्रेषित।

22.01.26

अभियंता प्रमुख